फर्द अहकाम

हीरालाल बनाम जयसिंह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रकरण संख्या .....25.../2025 T.J.

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/07/25	प्रार्थी Adv उपस्थित, प्रतिवादी के अधिवक्ता संख्या 01 लगातार 04 एवं 06 तारीख 25 को नोटिस Adv महेश शर्मा के वकालतनामा प्राप्त किया। बावजूद रजिस्टर्ड तामील/सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण अधिवक्ता संख्या 05 को expensive की जाती है ~~वास्ते~~ उपधारा 16 व 17 की तामील हेतु दी वास्ते जवाब अग्रिम दिनांक 21/07/25 नियत है।	
		उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	
	21/07/25	व.अ.प. उ.उपस्थित वास्ते जवाब अग्रिम हेतु पत्रावली आवश्यक दिनांक 28/07/25 को पेश हो।	
		उपखण्ड अधिकारी पावटा (जिला–कोटपूतली बहरोड़)	
	28/07/25	व.अ.प.उ.प्रार्थी Adv के जवाब बन्द कर मुकदमा का फैसला होने तक उभयपक्ष के पाबन्द करते हुए निर्देश दिया जिसपर अधिवक्ता Adv महेश शर्मा। बहसपरफनामा दिया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता का जवाब T.J. बन्द किया जाता है। T.J. दिनांक 07/04/25 में आदेश संशोधन किया जाकर मुकदमा का फैसला होने तक उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार होकर एक नकल के बाद दाखिल दफ्तर हो।	
		उपखण्ड अधिकारी पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)	